



16/10/18

उपरोक्त उपस्थित। P.O. साहब
अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है / ~~अवकाश~~ पर
है / का पद रिक्त है / पत्रावली गत / आ. शानुसार
दिनांक 20-11-18 को पेश हो 




20/11/18

उपरोक्त उपस्थित। P.O. साहब
अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है / ~~अवकाश~~ पर
है / का पद रिक्त है / पत्रावली गत / आ. शानुसार
दिनांक 2-1-19 को पेश हो 

8/19

आज पत्रावली पेश हुई। ^{शेखर} वकील सायल उपप। गैर सायल
नं. 1 व 2 के विरुद्ध पूर्व आडिय दिनांक. 4-9-18 इस
एक तरह का कार्यवाही की जा चुकी है। बहस वकील
सायल एक पक्षीय चुनी गई, पत्रावली का अवलोकन
किया गया, मुताबिक राजस्व रिकार्ड सायल खरैर
राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। पत्रावली में मौजूद
इस्तामेज के अनुसार कोई फुल प्रमाणिक करने
की रिपोर्ट व इस्तामेज पत्रावली में पेश नहीं
किये गये हैं। जिसके कारण में गैर सायल वर्ज
की जरिये अस्थाई निषेधज्ञा से जाबद ~~प्रमाण~~ जाता
उचित नहीं समझता हूँ। अतः सायल का प्रावनी
पत्र अस्थाई निषेधज्ञा सरदीन होने के कारण
आगे चलाने योग्य नहीं है। अतः सायल का प्रावनी
T.I स्वारीज किया जाता है। पत्रावली केवल
शुमार डेकल बाद तकमिल दफ्तर कारबल कीजमे
तथा मूल पत्रावली दावे की पत्रावली के साथ
संलग्न रहे।


उप जिला कलक्टर

बामनवास (जिला-स०मा०)